29.12.92

सिटी बोर्ड (नगर परिषद) जौनपुर की बैठक दिनांक 29.12.92 दिन मंगलवार अपराह्न 4.00 से श्री सीतारामयादव, अध्यक्ष, सिटी बोर्ड जौनपुर की अध्यक्षता में टाउनहाल में हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे, उनके नाम व कार्यवाही निम्नवत् है।

1	श्री सीताराम यादव	अध्यक्ष,
2	" सोमनाथ आर्य	मान्य सभासद
3	" डॉ० मेंहदी हसन	" "
4	" मिठाईलाल	" "
5	" लक्ष्मीनारायनयादव	प्रतिनिधि सांसद
6	" विद्यासागर सोनकर	मान्य सभासद
7	श्रीमती विमला सिंह	नामित " "
8	श्री राम अधार यादव	मान्य " "
9	" फुरकान अहमद	" "
10	" रमजान खां	" "
11	" मिर्जा ज्यारत हुसैन	" "
12	" कैलाशनाथ मौर्य	" "
13	" बाबूलाल गुप्त	" "
14	" हाजी मो० सलीम	" "
15	" दयाशंकर साहू	" "
16	" गणेशनाथ रावत	" "
17	" वीरेन्द्र प्रताप यादव	" "
18	श्रीमती सुधा श्रीवास्तव	नामित सभासद
19	श्री शिवकुमार गुप्त	मान्य सभासद
20	" दुखलाल साहू	" "
21	" राजेन्द्र प्रताप सिंह	" "
22	" रविन्द्र प्रताप सिंह	" "

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी अधिकारी
सिटी बोर्ड जौनपुर
29.12.92

(सीतारामयादव)
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड जौनपुर
29.12.92

29.12.92

बोर्ड की बैठक प्रारंभ होने के पूर्व ही माननीय सभासद श्री विद्यासागर सोनकर, ने सदन में यह प्रश्न उठाया कि जौनपुर नगर में इण्डिया मार्क II जो हैण्ड पम्प लगे हैं, उनमें से अधिकांश खराब पड़े हैं, जो आज तक बनवाये नहीं गये हैं, जिसके लिए कई बार कहा व लिखा जा चुका है, इस पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जलकल अभियन्ता ने बताया कि ये हैण्ड पम्प जलनिगम के माध्यम से लगवाये गये हैं, जिसके मरम्मत की जिम्मेदारी, उन्हीं की है, और ऐसे खराब हैण्ड पम्पों की शिकायत आने पर उसे जलनिगम विभाग को पत्र द्वारा सूचित किया जाता है, आगे इस प्रकार की बातें सदन में लायी गयी कि क्या उन हैण्ड पम्पों को पालिका द्वारा मरम्मत नहीं कराया जा सकता, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा पालिका व्यय पर उसे ठीक कराये जाने का आश्वासन दिया गया और यह भी निर्देश दिया गया कि क्षेत्रीय सभासद से खराब हैण्ड पम्पों की सूची मांगकर उसे जलकल अभियन्ता ठीक करा दें।

चर्चा काल के दौरान माननीय श्री अर्जुन सिंह यादव, सांसद के प्रतिनिधि श्री लक्ष्मीशंकर यादव, ने कहा कि सदन में हुयी बातों के सन्दर्भ में जिलाधिकारी जौनपुर को जलनिगम द्वारा हैण्ड पम्प ठीक कराये जाने हेतु, पत्र लिखे जाने का सुझाव दिया गया, जिस पर सदन की सहमति पायी गयी।

आगे श्री गणेशलाल रावत माननीय सभासद द्वारा श्री राधेश्याम साहू (रजाई वाले) वार्ड के मो० रासमण्डल स्थित मकान के अतिक्रमण को कम किये जाने का मामला उठाया गया जिसे अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा स्थिति स्पष्ट करके सदन को बताया गया।

श्री विद्यासागर सोनकर माननीय सभासद ने बेगमगंज सदर इमामबाड़ा के पास नाली मरम्मत के लिए कहा गया, जिसे अध्यक्ष महोदय द्वारा बनवाये जाने का आश्वासन दिया गया।

29.12.92

	प्रस्ताव :-	निर्णय :-
1	पिछली बैठक दिनांक 22.10.92 की कार्यवाही बाबत पुष्टि।	परिषद् सचिव श्री महेशचन्द्र द्वारा पढ़ी गयी, जिसकी सर्व सम्मति से पुष्टि की गयी।
2.	सिटी बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1992-93 के माह अक्टूबर, नवम्बर 92 का मासिक आय-व्यय लेखा परिषद् अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	पढ़ा गया, स्वीकार।
3.	प्रस्ताव बाबत नगर में विभिन्न मार्गों की तहबजारी की वसूली के लिये पूर्व से तैनात 3 दैनिक मजदूरी पर रखे गये तहबजारी मुहर्रिरों की सेवायें 1.11.92 से 31.1.93 तक 30/- प्रति दिन प्रति मोहर्रिर की दर से समयावधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव परिषद् अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
4.	पालिका प्रकाश विभाग में नगर क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था के समुचित संचालन के लिये कार्यरत तीन दैनिक मजदूरी पर 30/- प्रति दिन प्रति मिस्त्री की सेवायें 1.11.92 से 31.1.93 तक समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् स्वीकृति हेतु।	स्वीकार।

निर्णय :-

प्रस्ताव :-

5. पालिका सफाई विभाग के सफाई कार्य के निस्तारण हेतु 11-10-89 के पूर्व से कार्यरत 8 स्वच्छकार की सेवायें 1.11.92 से 31.1.93 तक 25/- प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से समयावधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव परिषद स्वीकृति हेतु। — स्वीकार।

6. पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य के निस्तारण हेतु 11.10-89 के पूर्व से कार्यरत किन्तु उक्त तिथि को उनकी सेवायें 3 वर्ष पूरी न रही हो, प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य करने की शर्त पूरी न करते हों, परन्तु वे 11-10-89 के पूर्व से कार्यरत रहे हों, जो शासनादेश सं० 171/ 9.1.92 दिनांक 8.-1.92 (8 जनवरी 92) के निर्देशानुसार सेवा से न निकाला जाय, सम्बन्धी विभागीय निर्देशों के तहत नगर में सफाई जैसी आवश्यक सेवा को दृष्टिगत रखते हुये 15 स्वच्छकार की सेवायें 25/- दैनिक मजदूरी पर स्वीकार किये जाने हेतु दिनांक 1.11.92 से 31.1.93 तक की अवधि के लिये प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु। — स्वीकार।

29.12.92

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
7. पालिका जलकल विभाग में पेयजलापूर्ति व्यवस्थाक्रम में नलकूपों के संचालन हेतु 12 पम्प अटेंडेन्ट की सेवायें 30/- प्रति पम्प अटेंडेन्ट प्रति दिन की दर से दैनिक मजदूरी पर 1.11.92 से 31.1.93 तक समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
8. पालिका जलकल विभाग में पाइप लाइनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत आदि कार्य के लिये 4 बेलदारों की सेवायें 28/- प्रति बेलदार प्रति दिन की दर से दैनिक मजदूरी पर 1.11.92 से 31.1.93 तक समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
9. पत्रावलि बावत पेयजलापूर्ति व्यवस्थाक्रम में नगर क्षेत्र के मोहल्ला सिंधाद, पातालीना (मिर्जापुर) एवं नईगंज नलकूपों के संचालन हेतु दैनिक मजदूरी पर पम्प अटेंडेन्ट रखने सम्बन्धी प्रतिबन्ध को दृष्टिगत रखते हुये जलनिगम	सर्व सम्मति से स्वीकार

29.12.92

निर्णय :-

प्रस्ताव :-

उक्त नलकूपों को द्वारा निरन्तर हस्तांतरण करने सम्बन्धी अनुबंध के बावजूद, उन्हीं (जलनिगम) के माध्यम से चलाया जा रहा है परन्तु इस सम्बन्ध में जलनिगम जौनपुर के पत्र संख्या 1156/ कार्य - 13/93 दिनांक 6.1.92 जो जिलाधिकारी - जौनपुर को प्रेषित एवं सिटी-बोर्ड को पृष्ठांकित है जिसमें नलकूपों के रखरखाव हेतु प्राविधानित 3 माह की अवधि, बहुत पूर्व ही समाप्त हो चुका है, जिसका संचालन, अब जलनिगम, किसी भी दशा में नहीं कर सकेगा, सम्बन्धी विशेष परिस्थिति तथा दैनिक मजदूरी पर पम्प ऑपरेटर नियोजित करने सम्बन्धी शासकीय प्रतिबन्ध को दृष्टिगत रखते हुये, पेयजलापूर्ति जैसी आवश्यक सेवा नागरिकों में उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त नलकूपों को ठीके पर चलाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव, नालानी जल संस्थान की भांति मेसर्स एण्टरप्राइजेज, इन्दिरानगर, लखनऊ का रेट (Rate) 49.50 (उन्चास रुपये-पचास पैसे) प्रति नलकूप प्रति दिन की दर से प्रतिमाह तीनों नलकूपों के संचालन में होने वाले व्यय रु0 4,455.00 स्वीकार करने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदनार्थ हेतु।

29.12.9

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
10. पत्रावलि बाबत जलकल विभाग के निष्प्रयोज्य उपकरण एवं अन्य सामग्री की नीलामी कराये जाने का प्रकरण परिषद अनुमोदन हेतु	स्वीकार।
11. पत्रावलि बाबत सिटी बोर्ड जोधपुर के निष्प्रयोज्य चुंगी चौकियों/भवनों की नीलामी के पश्चात उनमें उस समय प्रयोग में आने वाले, तौल मशीनों के निष्प्रयोज्य होने एवं उन्हें नीलाम करा कर बेचने सम्बन्धी प्रस्ताव जो बोर्ड की बैठक दिनांक 22-10-92 के पूरक प्रस्ताव सं० 1, के अन्तर्गत पारित हुआ था, नीलामी, 16-11-92 को कराई गयी, जिसमें 17,009/- सत्रह हजार रुपये की आय हुयी, परिषद ~~अनु~~ स्वीकृति व अनुमोदनार्थ।	पढ़ा गया। स्वीकार।
12. आज्ञा क्र० अधीक्षक दिनांक 13-11-92 बाबत सार्वजनिक निर्माण विभाग के ट्रांजिट हॉस्टल का गृहकर, जलकर का निर्धारण उसकी भूमि तथा निर्माण की लागत का 5% मानकर किया गया था, जिसके अनुसार उक्त ट्रांजिट हॉस्टल में	स्वीकार।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव	निर्णयः-
निर्मित 20 आवासीय भवन पर गृहकर रु० 17,127.00 तथा जलकर रु० 33,750.00 अर्थात एक आवास पर गृहकर रु० 856.35 पै० तथा जलकर रु० 1664.00 वार्षिक होता है, जिस पर कार्य- अधीक्षक, वि०नि० इकाई, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर ने अपने पत्र सं० 1692/28 सा०बी० दिनांक 23.10.92 द्वारा यह अवगत कराया है कि ट्रांजिट हास्टल में रहने वाले अधिकारियों से उक्त आवास के किराये हेतु स्टैन्डर्ड रेट के आधार पर लगभग 145.00 की प्रतिमाह की कटौती की जायेगी, ऐसी स्थिति में उपरोक्त निर्धारित गृहकर जलकर, बहुत अधिक है, अतः नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 140 की उपधारा 2 के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में उक्त आवास का गृहकर व जलकर 2.5% वार्षिक सरकारी मूल्य हास्टल की लागत का मानकर, गृहकर व जलकर किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव, परिषद अनुमोदन हेतु।
वेतन आयोग- अनुभाग -1 के शासनादेश सं० वे०आ०-1- 2127/10-18(एम)- 88 दिनांक 1.12.92, जिसके अन्तर्गत पालिका कर्मचारियों के महगाई भत्ते में 1 जुलाई 1992 से निम्न प्रकार बढ़ोत्तरी महगाई भत्ते की दरों में संशोधित किया गया है, परिषद सूचनार्थ।	स्वीकार।

29.12.92

	प्रस्ताव :-	निर्णय :-
13-	वेतन श्रेणी	मंहगाई भत्ते की मासिक दर, वेतन का प्रतिशत.
1.	3500/- रु० तक मूल वेतन पर।	83%
2.	3501/- से 6000/- मूल वेतन पर।	62% परन्तु कम से कम रु 2905.00
3.	6,000/- से अधिक मूल वेतन पर।	54% परन्तु कम से कम 3720/-
14.	वित्त वेतन आयोग अनुभाग-1 शासनादेश सं० आ०-1/2128/दस-92-54(एम०)-92 दिनांक 21-10-1992, जिसके अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय निकाय कर्मचारियों को भी वर्ष 1991-92 के लिये 29 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान सम्बन्धी शासनादेश परिषद सूचनार्थ।	पढ़ा गया। स्वीकार
15.	सिटी-बोर्ड कार्यालय के निकट मो० अलफस्टीनगंज में 40 पुरानी दुकानों के सम्बन्ध में पालिका द्वारा किये गये पूर्व के लीज डीड में पुरानी शर्तों में परिवर्तन/परिवर्धन व शिकमी किरायेदार/मूल आवंटी आदि द्वारा लाया जायेगा, के सम्बन्ध में निम्न सुझाव/शर्तें नगर पालिका अधिनियम 1916	सर्व सम्मति से स्वीकार।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय :-

...स्ताव :-

...की धारा 315 के तहत बताया गया है,

...अनुमोदन हेतु।

...परिषद ...द्वारा किसी शिकमीदार

...मूल पट्टेदार द्वारा किसी शिकमीदार

...बेचान किया गया हो, अथवा किराये

...पर दिया गया हो, तो अधिकतम 10,000/-

...हजार) रुपया तथा कम से कम 8,000/-

...(दस हजार) पालिका कोष में जमा कराकर

...(आठ हजार) समझौता किया जा सकता है।

...यदि मूल आवन्टी ने किसी व्यक्ति विशेष

...'ए' को बेचा, और 'ए' ने 'बी' को बेचा

...तो, ऐसी स्थिति में 10,000/- दस हजार

...रुपया समझौता शुल्क जमा करना होगा।

...यदि मूल आवन्टी ने 'ए' को बेचा तो

8,000/- आठ हजार रुपये समझौता शुल्क लेकर

...समझौता किया जा सकता है।

...यदि मूल आवन्टी द्वारा दुकानों में परिवर्तन/

...परिवर्धन, बिना अनुमति के कर लिया

...जाता है तो 1000/- एक हजार रुपया समझौता

...शुल्क जमा करना होगा।

...यदि किसी किरायेदार या शिकमीदार

...द्वारा कोई परिवर्तन या परिवर्धन किया

...जाता है तो 2000/- रुपये परिवर्तन/परिवर्धन

...समझौता शुल्क लिया जायेगा।

...यदि किसी ने बरामदे में शटर लगाया

...या कवर्ड कर लिया है उससे अधिकतम

...[illegible]/- रुपये समझौता शुल्क जमा कराया

...जाय।

इन सभी पट्टेदारों को किराया

...[illegible]/- देना होगा।

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
16. पालिका सीमा (नगर क्षेत्र) के अन्तर्गत पालिका भूमि जहाँ सार्वजनिक मूत्रालय, शौचालय है, तथा अन्य बेकार पड़ी भूमि जिस पर अनायास गन्दगी भी हो रही है, उस स्थल पर सुलभ शौचालय बनवाने तथा अतिक्रमण के बचाव को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश के अनुपालन में सार्वजनिक रूप से नीलामी करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित अनुमोदन हेतु।	प्रस्ताव को पढ़ा गया। सदन में उपस्थित मान्य सभासदों ने यह सुझाव दिया कि जमीन को बेचने के बजाय उस पर दुकानें बनवा दी जाय, जैसे कमला टाकीज के सामने जो शौचालय है, उस स्थान पर बोर्ड द्वारा दुकान बनवाकर नीलाम कर दिया जाय तो बोर्ड को अच्छी आय होगी और नियमित मासिक किराया भी मिलता रहेगा। इस प्रकरण पर काफी विचार विमर्श हुआ, श्री बाबूलाल गुप्त, मान्य सभासद ने कहा कि इसके लिये एक समिति गठित कर ली जाय जो समिति के निर्णयोपरान्त कार्यवाही की जाय

आगे श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, मान्य सभासद ने कहा कि क्या इस एजेण्डा में कोई जनहित का कार्य रखा गया है, इस पर अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी ने बताया कि 13.60 लाख रुपये का निर्माण कार्य का टेण्डर आज ही 29.12.92 को हुआ है, जिसका कार्यादेश शीघ्र ही निर्गत कर दिया जायेगा और इसे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लाये जाने वाले प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिया जा रहा है।

अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से

29.12.92

प्रस्ताव सं० 17 [illegible]

आयुक्त आदेश संख्या 25759/9-1-91-503 ([illegible])/91 दि० 12-11-91 के अनुदान रु 3,60,000/- से [illegible] निर्माण कार्यों के लिए आयी न्यूनतम निविदा की सूची।

कार्य का नाम	निविदा की संख्या	ठेकेदार का नाम	दरें	निविदा की धनराशि
ग्राम प्रेमराजपुर में पक्की सड़क पर [illegible] नाली निर्माण।	3 अदद	श्री कृष्ण चन्द गुप्ता	16% कम पर	रु 8074=08
ग्राम [illegible] में श्री हाजी [illegible] के मकान से श्री [illegible] के मकान तक फर्श एवं नाली निर्माण।	10 अदद	श्री इस्लामुद्दीन	36% कम पर	रु 24790=17
ग्राम [illegible] में श्री [illegible] के मकान से [illegible] तक फर्श निर्माण।	9 अदद	श्री सत्यप्रकाश	25.28% कम पर	रु 23073=83
[illegible] से [illegible] तक सोलिंग एवं नाली नि०।	8 अदद	श्री फूलचन्द	19% कम पर	रु 23692=02
[illegible] कालोनी में मन्दिर [illegible] से श्री देवी प्रसाद के मकान तक सोलिंग एवं नाली नि०।	9 अदद	श्री छत्रपति राम	19% कम पर	रु 25111=18
[illegible] स्कूल [illegible] तक सोलिंग नि०	4 अदद	लालजी यादव एण्ड कम्पनी	11% कम पर	रु 17351=62
[illegible] के पास [illegible] से प्रिन्सिपल के मकान तक सोलिंग नि०	5 अदद	मैसर्स प्रेम प्रकाश सिंह एण्ड कम्पनी	19% कम पर	रु 24596=46
[illegible] में दयाशंकर के मकान से [illegible] यादव के मकान तक सोलिंग नाली नि०	3 अदद	श्री हीरालाल	2% अधिक पर	रु 28254=81
[illegible] में श्री [illegible] के मकान से [illegible] तक सोलिंग नाली नि०।	3 अदद	रामबहाल यादव एण्ड कम्पनी	2% अधिक पर	रु 25082=17
[illegible] में सुल्तानपुर रोड से [illegible] घाट [illegible] सोलिंग नि०।	6 अदद	श्री अभयराज यादव	21.50% कम पर	रु 16330=00
[illegible] के सामने नाली नि०	2 अदद	श्री सत्यप्रकाश	14.60% कम पर	रु 14660=41
[illegible] में सिपाही [illegible] से [illegible] रास्ते में फर्श नि०	10 अदद	श्री अभयराज यादव	31% कम पर	रु 7578=90
[illegible] सोलिंग एवं नाली नि०।	4 अदद	श्री छत्रपति राम	18.15% कम पर	रु 8186=32
[illegible] में श्री दयाशंकर के मकान [illegible] पर सोलिंग नि०।	4 अदद	श्री छत्रपति राम	18.10% कम पर	रु 6770=92
[illegible] में गोपाल यादव के मकान [illegible] तक नाली नि०।	6 अदद	श्री छत्रपति राम	19% कम पर	रु 12836=98
[illegible] के पास [illegible] तक नाली नि०	5 अदद	श्री अभयराज यादव	27% कम पर	रु 18322=54
[illegible] में श्री नरेन्द्र प्रताप [illegible] के मकान से [illegible] के मकान तक सड़क नाली नि०।	6 अदद	मैसर्स प्रेम प्रकाश सिंह एण्ड कम्पनी	20.50% कम पर	रु 21517=87
				3,06,230=28

अन्य वि[illegible] हेतु [illegible]

रु० 13,60,000=00

(2)

विषय:- शासनादेश संख्या 2575/19-1-91-503 (सा०सं० अनु०)/91 दिनांक 12-11-1991 के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिये आई न्यूनतम निविदा की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा की संख्या	ठेकेदार का नाम	दरें	निविदा की धनराशि
1.	मोहल्ला रिकाबगंज में निहाल भवन के सामने से श्री गजेन्द्र के मकान तक सड़क निर्माण	6 अदद	श्री हुसैन अब्बास	15.15% कमती	रु 23,711.80
2.	मोहल्ला रिकाबगंज में श्री हामिद हसन के मकान से पक्की नाली निर्माण	16 अदद	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	25.60% कमती	10944.90
3.	मोहल्ला मंडी नातिरगंज में श्री इस्माईल के मकान से श्री मोईन के मकान तक एवं नाली निर्माण	13 अदद	श्री सत्य प्रकाश	22.50% कमती	23,497.84
4.	मंडी नातिरगंज में हाजी अब्दुल हमीद के मकान से श्री अब्दुल अजीज के मकान तक सोलिंग एवं नाली निर्माण	4 अदद	गोमती सहकारिता [illegible] कम्पनी	15.50% कमती	18,567.20
5.	मोहल्ला आलमगंज में श्री वीरेन्द्र सिंह के मकान से सोलिंग एवं नाली निर्माण	4 अदद	श्री तुलसीराम	21.25% कमती	13871.30
6.	मुरलीपुर में श्री पन्नालाल मौर्य के मकान से शंकर के मकान तक नाली निर्माण	5 अदद	श्री रघुनाथ	18.17% कमती	14,092.82
7.	मो० चितरसारी में श्री [illegible] के सामने खरंजा निर्माण	2 अदद	श्री राम	9.0% अधिक	4790.22
8.	मो० दयालपुर में श्री अकबरी बेग के मकान से श्री मोहम्मद के मकान तक सोलिंग नाली निर्माण	6 अदद	श्री हुसैन अब्बास	22.05% कमती	50,247.55
					1,67,723=63

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा की संख्या	ठेकेदार का नाम	दर	निविदा की धनराशि
9.	लाडलना में श्री हीरालाल के मकान से श्री नारायण के मकान तक नाली निर्माण	5 अदद	श्री कृपाराम चन्द्र गुप्ता	16.00% कम	6667=12
10.	मो० लाडलना में श्री जमुना सैट के मकान से श्री प्यारे के मकान तक नाली एवं खड़ंजा नि०	4 अदद	श्री कृपाराम चन्द्र गुप्ता	15.59% कम	10634=00
	मो० प्रेमराजपुर में श्री तिलक के मकान से श्री असगर अली के मकान तक सोलिंग नाली नि०	4 अदद	श्री हुसैन अहमद	15.50% कम	15362=02
	मो० बाजार मुक्का में श्री छोटेलाल मुख्तार के मकान से ईदगाह तक नाली निर्माण	3 अदद	श्री हीरालाल	अनुमानित दर	17,603=50
	मो० ख्यालीपुर में श्री रामचन्द्र के मकान से किशन नाथ के मकान मन्नालाल के मकान तक सोलिंग एवं नाली निर्माण	3 अदद	श्री हुसैन अहमद	15.50% कम	17,443=35
	मो० ख्यालीपुर में श्री रन्नूराम के मकान से शंकर के मकान तक नाली निर्माण	3 अदद	श्री तुलसीराम	अनुमानित दर	13,122-20.
	मो० दरीबा में श्री रामचन्द्र के मकान से मकान दरीबा रोड तक सोलिंग एवं नाली निर्माण	3 अदद	श्री तुलसीराम	20.75% कम	8125-60
	मो० ख्यालीपुर में श्री रामप्रसाद के मकान से श्री [illegible] के मकान तक सोलिंग एवं नाली निर्माण	5 अदद	श्री ~~[illegible]~~ तुलसीराम	19% कम	18549-00

2,75235=22

पृष्ठ संख्या 1 का योग → 3,06,230=28

कुल योग 5,81,465=50

[illegible]

...य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से

...आदेश संख्या 2575A/9-1.91 — स्वीकार।
...सा० घ० अनु०)/91 दिनांक 12-11-91 — अग्रेतर कार्यवाही की जाय।
...038 लाख सिक अनुदान 613.60
...अन्तर्गत प्राप्त ...
...संलग्न लाख रुपये) से कराये जाने
...के कार्य के सम्बन्ध में मांगी गयी
...निविदाओं में संलग्न फर्मों के
...प्राप्त न्यूनतम निविदा
...कार्य कराने का प्रस्ताव,
...अनुमोदन हेतु।

(सत्यप्रकाश यादव)
अधिशासी अधिकारी
सिटी बोर्ड जौनपुर
29.12.92

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड जौनपुर
29.12.92

विशेष कार्य सामग्री

29.12.92

सिटी-बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 29.12.92 से सम्बन्धित विशेष कार्य सामग्री (एजेन्डा)

प्रस्ताव:-	निर्णय:-
1. उ०प्र० म्युनिसिपेलिटीज ऐक्ट 1916 की धारा 131(1) के साथ पठित धारा 136 में प्राप्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये सिटी-बोर्ड जौनपुर की सीमा में प्रचलित वाटर सप्लाई रूल्स की प्रस्तावित संशोधित दरें जो विशेष प्रस्ताव के रूप में जिलाधिकारी/प्रशासक महोदय द्वारा स्वीकार किया गया था और अधिसूचना सं० 18 दिनांक 8 दिसम्बर 1986 द्वारा परिवर्तन किया गया था, जो गजट दिनांक 6 फरवरी 1988 में प्रकाशित और 1.5.88 से प्रभावी है, में लाईसेन्सी प्लम्बर/जल संयोजन सम्बन्धी प्रकरण पर शुल्क पुनरीक्षण का विशेष प्रस्ताव विशेष संकल्प के रूप में परिषद अनुमोदन हेतु।	प्रस्ताव तथा संशोधित दरों का प्रस्ताव परिषद लिपिक द्वारा पढ़ा गया, सदन द्वारा एवं जलकल समिति के माध्यम से बोर्ड की बैठक में रखे जाने हेतु सहमति पायी गयी।

(सत्यप्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी अधिकारी,
सिटी-बोर्ड जौनपुर
29.12.92

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड जौनपुर
29.12.92

अतिरिक्त विशेष कार्य सामग्री 29.12.92

सिटी-बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 29.12.92 के लिए अतिरिक्त विशेष कार्य सामग्री (एजेन्डा)

प्रस्ताव — निर्णय:—

1. सिटी बोर्ड जौनपुर का वर्ष 1992-93 का पुनरीक्षित आय-व्यय परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु। — सर्व सम्मति से स्वीकार।

(1) कुल आय:— 4,56,02,028.00

(2) कुल व्यय:— 4,43,15,500.00

(3) अंतिम अवशेष 12,86,528.00

सिटी बोर्ड जौनपुर जलकल विभाग की अपना बावत नगर में पेय जलापूर्ति के सुचारु संचालन हेतु आपात कालीन परिस्थितियों में नलकूप के बिगड़ जाने (पम्प मशीन-और पाइप लाइनों की मरम्मत आदि कार्य) की स्थिति में कार्य को प्रभावी ढंग से सम्पादित कराये जाने के उद्देश्य से नागरिक सुविधाओं में पेयजलापूर्ति जैसी आवश्यक सेवा को अबाध गति से चलाने हेतु जलकल अभियन्ता पद नाम में 2500/- रुपये का अस्थायी अग्रिम कोष स्वीकार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु। — स्वीकार।

(सत्य प्रकाश पान्डेय)
अधिशासी अधिकारी,
सिटी-बोर्ड-जौनपुर
29.12.92

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड-जौनपुर
29.12.92

विशेष पूरक कार्य सामग्री

29.12.92

सिटी-बोर्ड, जौनपुर की बैठक दिनांक 29.12.92 के लिये विशेष पूरक कार्य सामग्री (एजेन्डा)

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
1. आख्या अधिशासी अधिकारी दिनांक 28.12.92 कि शासन के निर्देशानुसार पालिका के सभी खाते राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले जांय, के अनुपालन में पालिका एकाउन्ट जो भिन्न बैंकों में चल रहे हैं, को एक ही राष्ट्रीयकृत बैंक, ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स जिसका विस्तार पटल (Extension Counter) सिटी-बोर्ड कार्यालय भवन में दिनांक 7.1.93 से खुलने जा रहा है, जिसमें पालिका के सभी खाते संचालित किये जायेंगे, सम्बन्धी प्रकरण परिषद अनुमोदन हेतु	शासनादेश के अनुपालन तथा बोर्ड कार्य हित एवं सुगमता को ध्यान में रखते हुए ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स का विस्तार पटल सिटी-बोर्ड कार्यालय भवन में दिनांक 7.1.93 से खोले जाने की अनुमति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी।
2. आख्या कर अधीक्षक दिनांक 26.12.92 बावत बोर्ड की बैठक दिनांक 31.8.92 के विशेष प्रस्ताव सं० 1 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित कर निर्धारण की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से पूरा कराने हेतु निम्नांकित पदों पर कर्मचारियों को रखने सम्बन्धी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ 1. कर निर्धारण अधिकारी — 2 2. सहायक कर निर्धारण अधिकारी — 2 3. कर निरीक्षक — 4	स्वीकार।

[illegible] ठेकेदारों [illegible] दरें [illegible] निविदा की धनराशि 227

प्रस्ताव सं० 17 दिनांक 28.12.92 के क्रम में कार्य [illegible]

[illegible] संख्या 2575/9-1-91-503 (सामान्य) [illegible]/91 दि० 12-11-91 के [illegible] निर्माण कार्यों के लिए आमंत्रित न्यूनतम निविदा की सूची।

कार्य का नाम	निविदा की संख्या	ठेकेदार का नाम	दरें	निविदा की धनराशि
[illegible] नाली निर्माण।	3 आयी	श्री भूषण चन्द गुप्ता	16% कम पर	रू 8074=08
[illegible] नाली निर्माण।	10 आयी	श्री इस्लामुद्दीन	26% कम पर	रू 24790=17
[illegible] नाली निर्माण।	9 आयी	श्री सत्यप्रकाश	25.25% कम पर	रू 23073=83
[illegible] नाली नि०।	8 आयी	श्री फूलचन्द	19% कम पर	रू 23692=02
[illegible] मकान तक सोलिंग [illegible] नि०।	9 आयी	श्री [illegible] राम	19% कम पर	रू 25111=18
[illegible] स्कूल [illegible] सोलिंग नि०	4 आयी	लालजी [illegible] एण्ड कम्पनी	11% कम पर	रू 17351-62
[illegible] मकान तक [illegible] नि०	5 आयी	मै० प्रेम प्रकाश सिंह एण्ड कम्पनी	19% कम पर	रू 21596=46
[illegible] मकान तक सोलिंग [illegible] नि०	3 आयी	श्री हीरालाल	2% अधिक पर	रू 28254-81
[illegible] सोलिंग नाली नि०।	3 आयी	[illegible] एण्ड कम्पनी	2% अधिक पर	रू 25082=17
[illegible] नि०।	6 आयी	श्री [illegible]	21.50% कम पर	रू 16330=00
[illegible] नाली नि०	2 आयी	श्री सत्यप्रकाश	11.60% कम पर	रू 14660=41
[illegible] नि० [illegible]	10 आयी	श्री [illegible]	31% कम पर	रू 7578=90
[illegible] नाली नि०।	4 आयी	श्री [illegible] राम	18.15% कम पर	रू 8186=32
[illegible] मकान [illegible] सोलिंग नि०।	4 आयी	श्री [illegible] राम	18.10% कम पर	रू 6770=92
[illegible] मकान [illegible] नाली नि०।	6 आयी	श्री [illegible] राम	19% कम पर	रू 12836=98
[illegible] नाली नि०	5 आयी	श्री [illegible]	27% कम पर	रू 18322=54
[illegible] मकान [illegible] नाली नि०।	6 आयी	मै० प्रेम प्रकाश सिंह एण्ड कम्पनी	20.50% कम पर	रू 21517:87
				3,06,230=28

विषयः- शासनादेश संख्या 3575 ह/9-1-91—503 (सा०स० अनु)/91 दिनांक 19-11-1991 के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिये आईई न्यूनतम निविदा की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा की संख्या	ठेकेदार का	दरें	निविदा की धनराशि
1.	मोहल्ला रिजवीखाँ में निहाल भवन के सामने से श्री मजोल के मकान तक सड़क निर्माण	6 अदद	श्री हुसैन अहमद	15.15% कम	रु 23,711-80
2.	मोहल्ला रिजवीखाँ में श्री हामिद हुसैन के मकान से पक्की नाली निर्माण	16 अदद	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	25.60% कम	18914-90
3.	मोहल्ला मनीनाथ मिस्त्री में श्री इस्माईल के मकान से श्री मोईन के मकान तक एवं नाली निर्माण	13 अदद	श्री सत्य प्रकाश	22.50% कम	23,497-[illegible]
4.	मनीनाथ बेलाने हाजी अब्दुल मजिद के मकान से श्री अब्दुल अजीज के मकान तक सोलिंग एवं नाली निर्माण	4 अदद	श्रीमती सत्यागम इन्डकान्स्ट्रक्शन कम्पनी	15.50% कम	18,562-2[illegible]
5.	मोहल्ला आलमगंज में श्री वीरेन्द्र सिंह के मकान से सोलिंग एवं नाली निर्माण	4 अदद	श्री तुलसीराम	21.25% कम	13871-30
6.	मुरलीपुर में श्री पन्नालाल मौर्य के मकान से श्री [illegible] के मकान तक नाली निर्माण	5 अदद	श्री हरचन्द राम	18.17% कम	16,092-82
7.	मो० चिलबिली में श्री [illegible] के सामने कलवर्ट निर्माण	2 अदद	श्री राम	4.0% अधिक	4790-22
8.	मो० हनापुर में श्री अकबरी बेग के मकान से श्री मोहम्मद के मकान तक सोलिंग नाली निर्माण	6 अदद	श्री हुसैन अहमद	22-05% कम	50,247-55

कार्य का नाम	निविदा की संख्या	ठेकेदार का नाम	दरें	निविदा की धनराशि
[illegible] लाडलला में श्री [illegible] के मकान से [illegible] नायक के मकान तक नाली निर्माण	5 अदद	श्री [illegible] चन्द्र गुप्ता	16.64% कम	6667=12
[illegible] लाडलला में श्री [illegible] के मकान से श्री [illegible] के मकान तक नाली एवं खड़ंजा निर्माण	4 अदद	श्री [illegible] चन्द्र गुप्ता	15.51% कम	10634=48
[illegible] में श्री [illegible] के मकान से श्री [illegible] आली के मकान तक सी०सी० रोड नाली निर्माण	4 अदद	श्री हुसैन अहमद	15.50% कम	15362=82
[illegible] बाजार मुक्का में श्री छोटेलाल [illegible] के मकान से [illegible] के मकान तक नाली निर्माण	3 अदद	श्री हीरालाल	अनुमानित दर	17,603=50
[illegible] में श्री [illegible] के मकान से [illegible] के मकान तक सी०सी० रोड नाली निर्माण	3 अदद	श्री हुसैन अहमद	15.50% कम	17,443=35
[illegible] में श्री [illegible] राम के मकान से [illegible] के मकान तक नाली निर्माण	3 अदद	श्री तुलसीराम	अनुमानित दर	13,122=20
[illegible] में श्री [illegible] के मकान से [illegible] तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	3 अदद	श्री तुलसीराम	20.75% कम	8125=60
[illegible] में श्री राम [illegible] के मकान से श्री [illegible] के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	5 अदद	श्री तुलसीराम	14% कम	18549=0

2,75,235=22

पृष्ठ संख्या 1 का योग → 3,06,230=22

कुल योग: 5,81,465=00

[signature]

विशेष प्रथक कार्य सामग्री

2.

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
(4) लिपिक 2 (5) चपरासी 2 (6) टाइपिस्ट 1 नोट :- उपरोक्त क्रम सं० 1 से 4 तक के पदों पर कर्मचारी विभागीय पदोन्नति द्वारा रखे जायेंगे, जो नये पंचवर्षीय कर निर्धारण सम्पन्न होने तक कार्य करेंगे। क्रमांक 5 व 6 के प्रस्तावित पदों पर भर्ती विशेष परिस्थितियों में दैनिक मजदूरी पर रखकर कार्यवाही की जाती है, जो उक्त कार्य सम्पन्न होने तक कार्य करेंगे। चर्चाकाल के दौरान श्री विद्यासागर जैन माननीय सभासद ने यह कहा कि पंचवर्षीय कर निर्धारण की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से पूरा कराने हेतु क्रमांक 1 से 4 तक के पदों पर कर्मचारी विभागीय पदोन्नति द्वारा रखे जायेंगे, जो उचित है एवं क्रमांक 5 व 6 के पदों की आवश्यकता के बारे में पूछा, इस पर अधिशासी अधिकारी ने उन को बताया कि आवश्यकता के अनुसार ही उपरोक्त पद प्रस्तावित किये गये हैं, जिस पर दैनिक मजदूरी पर रखकर विशेष परिस्थितियों में कार्य लिया जायेगा। इस पालिका में एक श्री इरशाद उर्फ पप्पू जो पूर्व से दैनिक मजदूरी पर टाइप का कार्य करता चला आ रहा है, उसी को टाइपिस्ट पद पर रखा जायेगा, चपरासी पद पर दैनिक मजदूरी पर विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी रखकर कार्य पूरा कराया जायेगा, ये दैनिक मजदूरी के कर्मचारी ~~दैनिक~~ कर निर्धारण की कार्यवाही सम्पन्न होने तक कार्य करेंगे। टाइपिस्ट पद का औचित्य विभागीय कर निर्धारण की कार्यवाही तथा शासन को लिखे जाने वाले पत्र को टंकित करने के लिये है, जिस पर सभासद सन्तुष्ट रहे और सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया गया।	

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
3. प्रस्ताव श्री रमजान खां, माननीय सभासद बाबत निम्नांकित सड़कों के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में	
(1) साजदा गर्ल्स इन्टर कालेज जौनपुर से होते हुये बड़ी मस्जिद को जाने वाली सड़क में पेयजलापूर्ति की सुविधा व सड़क की पेन्टिंग कार्य हेतु सड़क निर्माण एवं पाइप लाइन डालने / बिछाने का कार्य।	स्वीकार।
(2) मुतहदी से शाही किला को जाने वाली सड़क, का नामकरण उस क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति विशेष के नाम में करने तथा उनके नाम का पत्थर लगवाने का कार्य।	स्थगित।
(3) मो० जहाँगीराबाद में स्व० मुरलीधर उपाध्याय के मार्ग की मरम्मत तथा उसका नामकरण करने के सम्बन्ध में।	स्वीकार।
4. यू०पी० म्युनिस्पैलिटीज ऐक्ट 1916 की धारा 104(i)(बी) के साथ पठित पालिका रेगुलेशन सं० 2 में घोषित प्राविधानानुसार गत वर्ष गठित पालिका की 8 समितियों का कार्यकाल 31.12.92 को समाप्त हो रहा है, जिसे अग्रेतर एक वर्ष के लिये बढ़ाने अथवा समिति सदस्य के नव निर्वाचन हेतु माह जनवरी 93 में कोई तिथि निश्चित करने सम्बन्धी प्रकरण परिषद विचारार्थ व आदेशार्थ।	स्वीकार। अग्रेतर कार्यवाही हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

निर्माण प्रस्ताव कार्य सामग्री

29.12.92

प्रस्ताव :-

1. आख्या जल अभियन्ता / नगर अभियन्ता दिनांक 28.12.92 बाबत ओमियापुर मुहल्ले में कचहरी रोड से सटकर मछली मार्केट की स्थिति, जो अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गयी है, इससे पालिका को प्रति वर्ष आय भी होती है, आय में और अधिक बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये मुतल्ल मछली मार्केट तथा प्रथम तल पर दुकानों के निर्माण पर होने वाले व्यय अनुमान रु 3,33,822.00 का आकलन स्वीकार करने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।

निर्णय :-

स्वीकार।

चर्चाकाल :-

श्री बाबूलाल गुप्ता, माननीय सभासद ने कहा कि मो० खवासगोयला में मेनहोल खोलने की कार्यवाही चल रही है, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके जल्द से जल्द खोलवाया जाय, इस पर नगर अभियन्ता ने स्पष्ट किया कि उसके बाउन्ड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा है, इसमें कुछ समय लगेगा, और बाद में कार्यवाही कर ली जायेगी, जिस पर सहमति प्रदान की गयी, यह भी तय पाया गया कि इस निर्माण पर जो व्यय होगा, उसे निर्माण कमेटी के माध्यम से लाया जाय।

श्री मुख्तार अहमद, माननीय सभासद ने कहा कि उनका सुझाव व प्रस्ताव है कि इस वार्ड में पानी का कोई टैंक नहीं है, जिसके कारण जनता को काफी परेशानी होती है, ऐसी दशा में यदि एक टैंकर वार्ड से क्रय किया जा सकता है, तो उसे क्रय करने की कार्यवाही की जाय।

विशेष पूरक कार्य सामग्री

29.12.92

चर्चाकाल :-

श्री विद्यासागर सोनकर, सभासद ने कहा कि मण्डी समिति द्वारा सब्जीमंडी नगर से हटाये जाने के लिये शासन से कोई आदेश आया है तो मंडी उस स्थान से हटायी जाय तथा मन्डी समिति के अध्यक्ष से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित किया जाय कि फुटकर सब्जी विक्रेताओं को वहाँ से हटाने से रोका जाय।

श्री रमजान खां, मान्य सभासद ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के मकानों में कनेक्शन नहीं लगे हैं, उन्हें भी अधिक धनराशि की बिल भेजी जा रही है, ऐसा क्यों? इसे देखा जाय, और निरीक्षण कराकर ही उचित एवं सही बिल जनता को भेजी जाय।

पूर्व में जो टेन्डर आये हैं, उनमें जो न्यूनतम हैं, उसे अध्यक्ष की अनुमति से कार्य कराया जाय, जो जनहित में है, आगे इसे बोर्ड की बैठक में स्वीकार कराया जाय।

उपरोक्तानुसार बोर्ड की बैठक सर्वसम्मति से सम्पन्न हुयी।

(सत्यप्रकाश [illegible])
अधिशासी अधिकारी,
सिटी-बोर्ड जौनपुर
29.12.92

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड जौनपुर
29.12.92

लेखक :- महेश[illegible]
[illegible] लिपिक
सिटी-बोर्ड जौनपुर
29.12.92